

Diversion of forest land for construction of Petrol Pump at Khara No. 1643(?) of Bagadpur Village of Garhmukteshwar Tehsil in Hapur District of Uttar Pradesh State (LHS of NH-24, Chainage from 92.023 Km to 92.068 Km of NH24) के आवागमन हेतु मार्ग के निर्माण में बाधक संरक्षित वन भूमि हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक – 11-268/2014/एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा Diversion of forest land for construction of Petrol Pump at Khara No. 1643(?) of Bagadpur Village of Garhmukteshwar Tehsil in Hapur District of Uttar Pradesh State (LHS of NH-24, Chainage from 92.023 Km to 92.068 Km of NH24) के आवागमन में नवीन रिटेल आउटलैट सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.2544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलैट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य की स्टीम की दूरी 30 मीटर है तथा सम्पर्क मार्ग का क्षेत्रफल 0.2544 हे0 है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के अनुरूप है तथा यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन है। अतः इस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के मानक ही लागू होंगे जो मान्य है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलैट मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा Diversion of forest land for construction of Petrol Pump at Khara No. 1643(?) of Bagadpur Village of Garhmukteshwar Tehsil in Hapur District of Uttar Pradesh State (LHS of NH-24, Chainage from 92.023 Km to 92.068 Km of NH24) नवीन रिटेल आउटलैट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर 29 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलैट पर शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेंट दूकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में है।
5. साईन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
6. मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 01 से 1.5 मीटर के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत स्वीकृति जारी होने के पश्चात मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा कैम्पा मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।


(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़